(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम...

....बनाम..

किस्म मुकदमा.................अपील.................................नम्बर.............26.................वर्ष 2023.........

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि ख० नं० 51 रकबा 2.1500 है० वाके ग्राम देवीपुरा पटवारी हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसमें 0.4000 है० पर अपीलार्थी वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज चला आ रहा है। आपसी रंजिश के कारण पटवारी हल्का से गलत रिपोर्ट लेकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया। आगामी पेशी 8-2-2023 नियत की गई। अपीलार्थी को बिना सुनवाई व जवाब दिये बिना दिनांक 13-2-23 को निर्णय पारित कर दिया व अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। इस आधार से चुनौतिग्रस्त आदेश अपास्त होने योग्य है। जबकि तामिल भी प्रोपर नहीं हुई। अत: न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-2-2023 निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व उप तहसील दार अजीतगढ द्वारा प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड पटवारी हल्का कि रिपोर्ट के [illegible] से पाया गया कि भूमि ख० नं० 51 रकबा 2.15 में से 0.40 है० मे [illegible] अतिक्रमण किया [illegible] है। जो रिपोर्ट से स्पष्ट है। पटवारी हल्का द्वारा जो नजरी नक्शा बनाया है उसमे अतिक्रमण कहां व	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ... जो ... तामील...
	कितने रकबे पर कर रखा है उसका कोई अंकन नहीं है। न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ से प्राप्त मूल रिकार्ड व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल नोटिस जो अपीलान्ट को जारी किया गया जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि नोटिस के पीछे महेन्द्र व सायर के नाम अंकित है। तामिल कि कोई रिपोर्ट नहीं है। ना ही कोई दिनांक अंकित कि गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि तामिल विधिवत रूप से नहीं करवाई गई है। ना ही तामिल कुनिन्दा कि कोई रिपोर्ट कि गई है। जिससे यह स्पष्ट साबित होता है कि इस तामिल के आधार पर जो एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है वो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होती है। अधिनस्थ न्याया० द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मियाद बाबत धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है जो जानकारी के अभाव में हुयी देरी कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र धारा 5 का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार अपील व अपील में उपलब्ध रिकार्ड व उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा प्राप्त मूल रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील ... साबित होने से स्वीकार की जाती है। उप तहसीलदार अजीतगढ के मु०न० 29 / 2022-2023 उनवानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त...मुकाम...

....बनाम...

दमा...नम्बर.......................................वर्ष.......................

म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकार बनाम धूडसिंह में पारित निर्णय दिनांक 13-2-2023 अपास्त किया जाता है। तथा अपील अपीलान्ट उप तहसीलदार अजीतगढ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि भूमि ख० न० 51 रकबा 2.15 है में से 0.40 है पर अतिक्रमण बताया है जिसकी पुनः नाप जोख कर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। एवं इसी के साथ भूमि ख० न० 51 मे अन्य लोगो के द्वारा भी अतिक्रमण कर रखा है तो उनकी भी सुनवाई इसी पत्रावली के साथ कर नियमानुसार निर्णय पारित करें। निर्णय की पालना हेतु उप तहसीलदार अजीतगढ को निर्णय की प्रति के साथ तहरीर जारी कि जावें। निर्णय सुना। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2023.03.18 10:53:27 IST Reason: SelfAttested अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना	

Scanned with OKEN Scanner